सुलखान सिंह,
आई.पी.एस.

अ0शा0परिपत्रपत्रसंख्या:सरकुलर-02/2015
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दिनाक: लखनऊ: जून 29 ,2015

प्रिय महोदय,

प्राय: देखा जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान/आर0टी0सी0 में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण अपने स्थानान्तरण, पदोन्नति व अन्य सेवा लाभ हेतु राजनैतिक व्यक्तियों व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डलवाते है तथा अपनी पत्नी, माता-पिता, बच्चों एवं सम्बन्धियों के माध्यम से लिखित अथवा मौखिक सिफारिश कराते है। यह प्रकिया अनुचित है एवं उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विभागयी कदाचरण की श्रेणी में आता है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-13/15/1950-कार्मिक-1, कार्मिक अनुभाग-1, दिनांक 16.04.1984 में भी स्पष्ट रूप से सेवा संबंधी मामलों में बाहरी दबाव को प्रतिषिद्ध किया गया है।

उक्त नियमावली के नियम 27 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, या उसके परिवार के सदस्य द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की सीमा में आता है सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के अनुरोध या मौन सहमति से किया गया समझा जायेगा जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न कर दिया गया हो।

यदि अधिकारी/कर्मचारी को सेवा सम्बन्धी कोई समस्या है तो वह अपने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से उसका निराकरण करा सकता है। निराकरण न होने की दशा में वह उच्चाधिकारियों के समक्ष अथवा आवश्यक होने पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में आकर अपनी समस्या बताकर यथोचित निदान प्राप्त कर सकता है।

अत: अपने अधीन नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें कि वह अपनी सेवा सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु किसी भी राजनैतिक व अन्य वाह्य महानुभावों से दबाव बनाने तथा अपने समस्त सम्बन्धियों की ओर से लिखित अथवा मौखिक सिफारिश अथवा निवेदन किये जाने के बजाय सक्षम प्राधिकारियों से समस्या का नियमानुसार निराकरण करायें। यदि कोई अधि0/कर्म0 उपरोक्त संदर्भित नियमावली/शासनादेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

29/6/15

(सुलखान सिंह)

1. समस्त प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
   प्रभारी आर0टी0सी0,